कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद–अमेठी।

पत्रांक /जि0का0अधि0/बा0वि0परि0/च0/विज्ञप्ति/2025–26 दिनांक- 01-12-2025

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर संविदा आधारित नियुक्ति के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए नवीन शासनादेश संख्या –2025/3313/ 58– 1–2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद अमेठी में पूर्व विज्ञापित पदों में रिक्त रह गये आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट https://www.upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते है। ऑगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् हैः–

क0स0	परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों का विवरण			
		अनूसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	योग
1	अमेठी	0	0	2	2
2	भादर	0	1	1	2
3	भेटुआ	1	0	0	1
4	संग्रामपुर	0	0	2	2
5	गौरीगंज	1	1	2	4
6	जामों	1	1	1	3
7	शाहगढ़	0	0	1	1
8	मुसाफिरखाना	1	3	1	5
9	जगदीशपुर	1	1	4	6
10	तिलोई	1	0	0	1
11	सिंहपुर	0	1	2	3
योग		**6**	**8**	**16**	**30**

नोट– रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

उपरोक्त रिक्त पदों की ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, संबंधित तहसील एवं विकास खण्ड तथा बाल विकास परियोजना कार्यालय इत्यादि के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है साथ ही विभागीय वेबसाईट https://www.upanganwadibharti.in पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश–

1– विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगें।

2– आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट या उसके समकक्ष होगी तथा अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार होगी।

CamScanner

3– आंगनबाड़ी कार्यकत्री हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक 01.07.2025 को आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल अंक पत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि मान्य होगी।

4–एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के पद पर नहीं की जायेगी।

5–चयन में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।

6– विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र एंव परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यकता के सम्बन्ध में सक्षम मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।

7–विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं की वरीयता प्रदान की जायेगी।

8– गरीबी रेखा से नीचे की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं।

9– उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

10– निवास एवं जाति प्रमाण–पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण–पत्र की मान्य होंगे जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।

11– आय प्रमाण–पत्र के संबंध में उत्तर प्रदेश के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1–9–11–राज–9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के कम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण–पत्र की मान्य होंगे जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।

12– गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26–2–2025 दिनांक 14. 09.2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।

13–आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट **https://www.upanganwadibharti.in** पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाईन व सही–सही सावधानीपूर्वक भरें जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व–हस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाईन फार्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/ऑकड़े/शैक्षिक अभिलेखों में प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जायेगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

14– ऑनलाइन आवेदन दिनांक 01.12.2025 से दिनांक 21.12.2025 के मध्य रात्रि 12.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

CamScanner

15– आंगनबाड़ी केन्द्र पिछूती सिनेट जगदीशपुर में चयन प्रक्रिया मा0 उच्च न्यायलय में योजित रिट संख्या 12804/2025 सुमित्रा यादव बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.11.2025 के क्रम में योजित अपील में अंतिम निर्णय के अधीन होगी। मा0 उच्च न्यायालय में योजित वाद संख्या 2617/2024 श्यामपती बनाम राज्य व अन्य में आंगनबाड़ी केन्द्र कटारी पूरब जामों तथा वाद संख्या 12699/2025 सरिता शर्मा बनाम राज्य व अन्य व वाद संख्या 10876/2025 प्रीती सरोज बनाम राज्य व अन्य में आंगनबाड़ी केन्द्र मिश्रौली गौरीगंज में चयन प्रक्रिया मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के निर्णयाधीन होगी।

भवदीय,

(संतोष कुमार श्रीवास्तव)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
जनपद अमेठी।

पृष्ठांकन C-1683 /तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– निदेशक महोदया, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।

2– जिलाधिकारी महोदय, अमेठी।

3– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अमेठी।

4– अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला सेवा योजन अधिकारी जनपद अमेठी।

5– समस्त उपजिलाधिकारी अमेठी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

6– जिला सूचना अधिकारी अमेठी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान व सहारा जीवन में न्यूनतम दर पर प्रकाशित कराने तथा बिल प्रमाणित कर 02 प्रतियों में भुगतान हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7– समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद अमेठी को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञप्ति की प्रति विकास खण्ड कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

8– समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की इस सूचना/विज्ञप्ति को परियोजना कार्यालय के साथ–साथ संबंधित तहसील एवं संबंधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराएं।

9– सूचना पट पर चस्पा हेतु।

1.12.25

जिला कार्यक्रम अधिकारी
जनपद अमेठी।

CamScanner